राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 104/2025

दायरा तिथि : 2-7-2025

निर्णय :- 2-2-2026

देवेन्द्रसिंह भाटी बनाम राजस्थान सरकार आदि

वाद–पत्र अंतर्गत धारा 136, 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 राजस्व रिकॉर्ड संशोधन एवं दुरुस्तिकरण

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी देवेन्द्रसिंह भाटी पुत्र रामेश्वरलाल भाटी जाति भाटी उम्र 44 वर्ष निवासी भाटी मार्ग, हनुमान धोरा, वार्ड नम्बर 21 कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान ने उक्त धारा के तहत एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रावली ढाणी, पटवार हल्का कालेरा की ढाणी भू0 अभि0 बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू में खेत खाता संख्या नया 35, पुराना 34 खेत खसरा नंबर 617 कुल तादादी 12.4694 हेक्टेयर स्थित है। जिसमें वादी का 30517/98600 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। उक्त खेत खसरान की भूमि की जमाबंदी में वादी का नाम देवेन्द्रसिंह भाटी के स्थान पर केवल देवेन्द्रसिंह व वादी के पिता का नाम रामेश्वरलाल भाटी के स्थान पर दानसिंह अंकित है, दानसिंह वादी के जन्मदाता पिता है परंतु वादी उपपंजीयक कार्यालय सुजानगढ़ में पंजीकृत गोदनामा दिनांक 15/04/2021 के आधार पर अपने ताउजी श्रीरामेश्वरलाल भाटी के गोद चला गया और वादी के पिता का नाम गोदनामा के आधार पर रामेश्वरलाल भाटी है। इसलिए वादी के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम देवेन्द्रसिंह के आगे भाटी तथा पिता का नाम दानसिंह के स्थान पर रामेश्वरलाल भाटी जाति ढोली के स्थान पर भाटी घोषित करवाई जावे। जो सही है, जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में सही किया जावे आदि–आदि वाद पेश किया। वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण 1 ता 10 को जरिए नोटिस तलब किया गया।

पैरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर वादी अपना नाम शुद्ध करवाये तो हमें आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 02 ता 10 बावजूद सम्मन के उपस्थित नहीं अतः उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में गोदनामा, अपना आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की जिन सभी में वादी का नाम देवेन्द्रसिंह भाटी पुत्र रामेश्वरलाल भाटी जाति भाटी अंकित है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत जमाबन्दी ग्राम रावली ढाणी, पटवार हल्का कालेरा की ढाणी भू0 अभि0 बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू में खेत खाता संख्या नया 35, पुराना 34 खेत खसरा नंबर 617 कुल तादादी 12.4694 हेक्टेयर में अंकित खातेदार देवेन्द्रसिंह पुत्र दानसिंह जाति ढोली के स्थान पर देवेन्द्रसिंह भाटी पुत्र रामेश्वरलाल भाटी जाति भाटी दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं, तहसीलदार बीदासर को प्रतिलिपि पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)